

पटना में दिनांक-29 जुलाई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2026—27 में कुल 9748.18 लाख (सन्तानवे करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु 15862.14981 लाख (एक सौ अनठावन करोड़ बासठ लाख चौदह हजार नौ सौ एकासी) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | वित्तीय वर्ष 2026—27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेन्टर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 23658.00 लाख (दो सौ छत्तीस करोड़ अनठावन लाख) रुपये की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई एवं व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026—27 में कुल 3017.50 लाख (तीस करोड़ सतरह लाख पचास हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

खेल विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बिहार खेल नीति-2026 की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

6. पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को लघु निर्माण मद में पूर्व में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के लिए बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 एवं 1151(ख) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

गृह विभाग

7. बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपराधिक कांडों से संबंधित प्रदर्शों की फॉरेंसिक जाँच से संबंधित कार्यालय यथा-विधि विज्ञान प्रयोगशाला/पुलिस प्रयोगशाला (हैंडराइटिंग ब्यूरो)/अंगुलांक ब्यूरो (फिंगर प्रिंट ब्यूरो)/फोटो ब्यूरो को गृह विभाग के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्रियाशील रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन एवं प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 53,71,47,500/- (तिरेपन करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 150,96,82,900/- (एक सौ पचास करोड़ छियानवे लाख बयासी हजार नौ सौ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. जमुई जिलान्तर्गत खैरा-सोनो पथ के 72वें कि०मी० में NH-333A पर नरियाना घाट, क्यूल नदी पर Old Damage Bridge के स्थान पर (16 x 29.85m) आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹9382.29 लाख (तिरानबें करोड़ बयासी लाख उनतीस हजार) मात्र रूपय के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 11. | जमुई जिलान्तर्गत खैरा-सोनो पथ के 80वें कि०मी० में NH-333A पर मांगोबंदर में सुकनर नदी पर Old Damage Bridge के स्थान पर (9 x 29.85m) आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹5596.12 लाख (पचपन करोड़ छियानवें लाख बार हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 11. | स्वीकृत। |
|-----|---|-----|----------|

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- | | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 12. | राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने तथा इस हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131 ज्ञा (त) के आलोक में नामांकन के आधार पर NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) का चयन एवं कार्य आवंटन की स्वीकृति के संबंध में। | 12. | स्वीकृत। |
|-----|--|-----|----------|

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)

- | | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 13. | “बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026” की स्वीकृति के संबंध में। | 13. | स्वीकृत। |
|-----|--|-----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 14. | पटना जिलान्तर्गत अंचल-पाटलिपुत्र, मौजा-ढकनपुरा, थाना सं०-07 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-1.00 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की स्वामित्व की भूमि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के कार्यालय भवन-सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-57,37,50,000/- (सत्तावन करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। | 14. | स्वीकृत। |
|-----|---|-----|----------|

लघु जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 15. | लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट (Hydrologist), हाइड्रो जियोलॉजिस्ट (Hidro Geologist) एवं जियोफिसिस्ट (Geophysicist) संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु “लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं जियोफिसिस्ट संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026” की स्वीकृति के संबंध में। | 15. | स्वीकृत। |
|-----|--|-----|----------|

विधि विभाग

16. राज्य स्कीम अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय, पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन (बी०+जी०+3) के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राक्कलित राशि रु० 21,54,00,000/-को बहुउद्देशीय भवन (बी०+जी०+5) में परिवर्तित किये जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु०-57,33,89,200/- (सत्तावन करोड़ तैतीस लाख नवासी हजार दो सौ) रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

17. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 60,49,99,000.00 (साठ करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

18. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु० 60,49,99,000.00 (साठ करोड़ उनचास लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस०निदेशालय)

19. समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन (संशोधन) मार्गदर्शिका- 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

20. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघो एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफर वाहन हेतु कुल राशि 1,06,39,24,750 (एक अरब छह करोड़ उनतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ पचास) रु० मात्र की योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45,50,80,880 (पैंतालीस करोड़ पचास लाख अस्सी हजार आठ सौ अस्सी) रु० मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

21. बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

22. रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (byproducts) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि० (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

22. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

23. बिहार के 19 न्यायमंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबितवादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक पद कुल 19 (उन्नीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

24. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-3 के अन्तर्गत पटना में अतिरिक्त 02 (दो) एवं मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 01 (एक) विशेष न्यायालयों के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।